

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय : 110, औद्योगिक आस्थान, फजलगंज, कानपुर

वेबसाइट – www.upsic.in ई-मेल– upsmall_kp@dataone.in

दूरभाष– 0512–2241622, 2234462

फैक्स : 0512–2213974

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 हेतु मेनुअल

1. संस्था की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य

प्रदेश की लघु औद्योगिक इकाइयों के वृहद विकास के उद्देश्य से उ.प्र. लघु उद्योग निगम की स्थापना जून, 1958 में एक पूर्ण शासकीय स्वामित्वाधीन कम्पनी के रूप में हुयी थी। निगम अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रदेश की लघु औद्योगिक इकाइयों को कच्चा माल की उपलब्धता से लेकर उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन तक के क्षेत्र में सहायता प्रदान कर रहा है। उ.प्र. लघु उद्योग निगम ही प्रदेश सरकार का एक मात्र निगम है जो प्रदेश की एम.एस.एम.ई. इकाइयों के वृहद विकास हेतु प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया गया है जिसका संकल्प भारत सरकार के एम.एस.एम.ई. एक्ट 2006 में दोहराया गया है जिससे प्रदेश के औद्योगिक विकास में भागीदारी बढ़ायी जा सके।

अधिकृत पूंजी : रु. 25.00 करोड़

चुकता पूंजी : रु. 5.96 करोड़

स्थापना का उद्देश्य:—

- विभिन्न प्रकार के कच्चे माल जैसे लौह एवं इस्पात, अलौह, धातुएं/स्क्रेप, कोयला आदि लघु इकाइयों को उपलब्ध कराना।
- पूर्व में निगम द्वारा निदेशालय के औद्योगिक आस्थानों को स्थापना एवं अनुरक्षण।
- लघु उद्यमियों को विपणन सहायता उपलब्ध कराना।
- लघु इकाइयों को किराया क्रय योजना के अधीन मशीनों की आपूर्ति।

- आयातित कच्चे माल एवं मशीनों की इकाईयों की विशिष्ट मांग पर आपूर्ति
- पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थान एवं संकुल समूहों की स्थापना।
- प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में संयुक्त क्षेत्र के अधीन अंशपूँजी में सहभागीदारी के अन्तर्गत उद्योगों की स्थापना।

निगम की विभिन्न योजनायें (कार्यकलाप)

- **कच्चा माल—लौह** : निगम प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थित अपने भण्डारों के माध्यम से इकाईयों की उनकी मांग के अनुरूप मुख्य उत्पादकों जैसे भारतीय इस्पात प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. द्वारा निर्मित लौह एवं इस्पात प्राप्त कर उचित मूल्य पर उपलब्ध कराता है।
- **कन्साइनमेन्ट एजेन्सी** : निगम द्वारा उत्पाद से माल खरीदकर इकाईयों को उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनकी कन्साइनमेन्ट एजेन्सी चलाकर भी इकाईयों की गुणवत्ता युक्त माल उपलब्ध कराता है। निगम द्वारा स्टील ऑथरिटी ऑफ इण्डिया लि. की कन्साइनमेन्ट एजेन्सी, आगरा में चलायी जा रही है।
- **कच्चा माल — अलौह**— निगम प्रदेश में स्थित सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों को उनकी मांग पर पीतल उचित मूल्य पर उपलब्ध कराता है।
निगम प्रदेश एवं भारत सरकार के विभिन्न/प्रतिष्ठानों जैसे पुलिस/रक्षा प्रतिष्ठानों से पीतल के स्क्रैप को प्राप्त कर लघु औद्योगिक इकाईयों को कच्चे माल के रूप में उचित मूल्य पर उपलब्ध कराता है।
- **कोयला आपूर्ति**— प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु लघु औद्योगिक इकाईयों एवं ईट भट्टा को निर्धारित नीति के अनुसार कोयले की आपूर्ति निगम द्वारा सुनिश्चित करायी जाती है। निगम द्वारा कोल इण्डिया लि. (सी. आई.एल.) द्वारा प्रदत्त किये गये आवंटन के विरुद्ध विभिन्न ग्रेड के कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाती है।
- **निर्माण योजना**: इस निगम के निर्माण अनुभाग द्वारा समस्त प्रकार के सिविल/इलेक्ट्रिकल को पूर्ण गुणवत्ता के साथ कार्य सम्पन्न कराया जाता है। उद्योग विभाग के निर्माण कार्य जैसे औद्योगिक आस्थान व जिला उद्योग केन्द्रों के भवनों का निर्माण व अनुरक्षण एसाइड योजना के कार्य सफलतापूर्वक किये जा रहे हैं। निर्माण अनुभाग नियमानुसार सेन्टेज पर किसी भी सरकारी निर्माण कार्य को लेकर सम्पादित कर सकता है। यह अनुभाग प्रदेश के उद्यमियों द्वारा लगाये जा रहे उद्योगों के सिविल कार्य हेतु सलाह एवं परामर्श सेवा प्रदान कराता है।
- **विपणन सहायता योजना**: व्यापक साधनों के कुशल प्रबन्धकों के अभाव में लघु उद्योग इकाईयों अपने उत्पादों को विपणन करने में असमर्थ ही नहीं पूर्णतया विफल होकर रुग्ण होते हुए बन्द हो जाती है, ऐसी इकाईयों को निगम विभिन्न शासकीय, अर्धशासकीय विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थानों, परिषदों आदि में निविदाओं व क्रय प्रबन्धों के माध्यम से आपूर्ति करवाने में सक्रिय सहायता करता है। निगम इकाईयों से दरे प्राप्त कर विभिन्न क्रय प्रबन्धों जैसे दर मात्रा अनुबन्धों में भाग लाता है तथ आपूर्ति आदेश प्राप्त होने पर सम्बन्धित इकाईयों को वांछित सामग्री की आपूर्ति हेतु आदेशित करता है।
- **परियोजना परामर्श** : निगम लघु औद्योगिक इकाईयों की स्थापना तकनीकी उच्चीकरण, गुणवत्ता, सुधार, मानव संसाधन विकास करने एवं आई.एस.आई. व आई.एस.ओ. 9000 प्राप्त करने में सहायता कुशल परामर्श के माध्यम से प्रदान करता है। निगम द्वारा इकाईयों को कम्प्यूटरीकरण करने में तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।
- **मैनपावर आउटसोर्सिंग एजेन्सी** : राज्य सरकार द्वारा निगम को मैनपावर आउटसोर्सिंग एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है, जिसके अन्तर्गत निगम विभिन्न शासकीय विभागों/अर्धशासकीय/ पीएसयूएस में उनकी मांग के अनुसार जनशक्ति उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। उक्त योजना के अन्तर्गत निगम द्वारा इम्पेनल्ड वेन्डरों के माध्यम से उक्त योजना का संचालन किया जा रहा है जिस हेतु निगम द्वारा वेबसाइट का सृजन किया गया है।
- **काउन्सिलिंग एवं बोर्ड कमेटी का गठन** : निगम का गठन कम्पनी आिनियम 1956 के अधीन किया गया है। अतः निगम के संचालन के लिये निदेशक मण्डल का गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष एवं निदेशकों की नियुक्ति शासन द्वारा की जाती है। निदेशक मण्डल द्वारा नीति विषयक निर्णय लिया जा है एवं निगम के कार्यकलापों की समीक्षा की जाती है। निदेशक मण्डल की नियतमः प्रत्येक त्रैमास में बैठक सम्पन्न होती है। निदेशक मण्डल की बैठक में अध्यक्ष, निदेशकों तथा प्रभारी कम्पनी सचिव के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा

सामान्यतः प्रतिभाग नहीं किया जा सकता है। निगम के कार्याकलाप वाणिज्यिक प्रकृति के होने के कारण निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये नीति विषयक निर्णय/कार्यवृत्त जनसामान्य के सूचनार्थ उपलब्ध नहीं है।

2. लघु उद्योग निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिकार एवं दायित्व:-

मुख्यालय स्तर पर उक्त व्यवसाय के सापेक्ष में निम्न अधिकारियों से संपर्क कर सम्बन्धित योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जिनके दूरभाष/मोबाइल नम्बर निम्नवत है:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद नाम	अनुभाग	फोन नम्बर	
				आफिस	मोबाइल
1	श्री राम यज्ञ मिश्र	प्रबन्ध निदेशक		0512-2241119 0512-2236430	
2	श्री अजय शर्मा	उप मुख्य प्रबन्धक वित्त	लेखा अनुभाग, पैकेज, प्रभारी सचिव, प्रभारी सम्पत्ति		9794855866
3	श्री ए.पी. पात्रों	विभागीय प्रबन्धक	सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, किराया क्रय, विपणन अनुभाग, आयात, भदोही, परियोजना वसूली	0512-2241622	7376566356
4	श्री अविनाश रायजादा	प्रोग्रामर एनालिस्ट	संगणक केन्द्र, जनसूचना, नोडल अधिकारी IGRS, प्रभारी लौह, प्रभारी अलौह, प्रभारी कोयला, प्रभारी मैनपावर		9415156380
5	श्री जी.एन. मिश्रा	क्षेत्रीय प्रबन्धक	क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद		
6	श्री एच.के. श्रीवास्तव	अधिशोषी अभियन्ता	वर्तमान में रेल भूमि विकास प्राधिकरण नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर		9415127221
7	श्री एसके0 राय	अधिशोषी अभियन्ता	अधिशोषी अभियन्ता निर्माण खण्ड -2, क्षेत्रीय प्रबन्धक गोरखपुर		9450326649
8	श्री प्रभात कुमार बाजपेई	अधिशोषी अभियन्ता	अधिशोषी अभियन्ता निर्माण खण्ड-1, प्रभारी नजारत, प्रभारी वाहन, प्रभारी पंजीकर प्रकोश्ट, सहायक सम्पत्ति अधिकारी, प्रबन्धक कोल, प्रबन्धक मैनपावर, प्रदूशन नियंत्रण योजना		9452962264
9	श्री एस0ए0 अब्बास	सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड-1		9415478620
10	श्री बी0के0 वर्मा	सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड-2		9235745168
11	श्री अशोक कुमार अवस्थी	क्षेत्रीय प्रबन्धक	क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ		9415466267
12	श्री राम नरेन्द्र सिंह	क्षेत्रीय प्रबन्धक	क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद		9451846066
13	श्री राजीव कुमार त्रिपाठी	सहायक अभियन्ता	मुख्यालय		9415041385
14	श्री बद्धी प्रसाद त्रिपाठी	सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड-1		9415481619
15	श्री मल्लिखान सिंह	सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड-2		8858041582
16	श्री सुनील कुमार यादव	क्षेत्रीय प्रबन्धक	क्षेत्रीय कार्यालय मुरादाबाद		8299046762
17	श्री अरुण कुमार झा	सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड-1		9415487271
18	श्री यशपाल सिंह	क्षेत्रीय प्रबन्धक	क्षेत्रीय कार्यालय आगरा		9451533006
19	श्री के0एन0 अवस्थी	उप प्रबन्धक लेखा	मुख्यालय		9005724802
20	श्री के0के0 भार्मा	उप प्रबन्धक लेखा	मुख्यालय		9415086682

3. निगम में उपलब्ध अभिलेखों का विवरण:-

1. निदेशालय मण्डल की बैठक का कार्यकृत।
2. वाणिज्यिक क्रियाकलापों से सम्बन्धित नीतिगत निर्णय/पत्रावलियां/
3. कार्यालय ज्ञाप/आदेश
4. शासनादेशों की प्रतियां
5. लेखा विभाग से सम्बन्धित रजिस्टर, बिल, वाउचर्स आदि।
6. सचिवीय/सापना से सम्बन्धित पत्रावलियों
7. पत्रावलियों के रख-रखाव से सम्बन्धित रजिस्टर

4. काउन्सिलिंग बोर्ड एवं कमेटी का गठन-

निगम का गठन कम्पनी अधिनियम-1956 के अधीन किया गया है। अतः निगम के संचावलन के लिये निदेशक मण्डल का गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष एसवं निदेशकों की नियुक्ति शासन द्वारा की जाती है। निदेशक मण्डल द्वारा नीति विषयक निर्णय लिया जाता है एवं निगम के कार्यकलापों की समीक्षा की जाती है। निदेशक मण्डल की नियमतः प्रत्येक त्रैमास में बैठक सम्पन्न होती है। निदेशक मण्डल की बैठक में अध्यक्ष, निदेशकों तथा कम्पनी सचिव के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभाग नहीं किया जा सकता है। निगम के कार्यकलाप वाणिज्यिक प्रकृति के होने के कारण निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये नीति विषयक निर्णय/कार्यवृत्त जनसामान्य के सूचनार्थ उपलब्ध नहीं है।

5. निदेशक मण्डल में निदेशकों की सूची :-

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	
1.	श्री नवनीत सहगल	प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ.प्र. शासन, एवं अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग लि०, लखनऊ	अध्यक्ष
2.	श्री राकेश गर्ग	—	उपाध्यक्ष
3.	श्री राम यज्ञ मिश्र	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० लघु उद्योग निगम लि०, कानपुर	प्रबन्ध निदेशक
4.	श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव	संयुक्त निदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो,	निदेशक

242, जवाहर भवन,
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

5. श्री अजय जौहरी

अपर निदेशक
कोषागार एवं पेंशन
कानपुर

निदेशक

6. वित्तीय संरचना—

अधिकृत पूंजी : रु. 25.00 करोड़

चुकता पूंजी : रु. 5.96 करोड़

7. उ.प्र. लघु उद्योग निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक क्षेत्रीय कार्यालयों कच्चा माल भण्डार एवं कन्साइनमेंट एजेन्सी नाम के पते पर दूरभाष नम्बर:—

क्रम संख्या	नाम	पदनाम
1.	यशपाल सिंह	70, औद्योगिक आस्थान 0562-2281710 क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा नुनहाई, आगरा
2.	जी.एन. मिश्रा	ए-12, पटेल नगर, गाजियाबाद 0120-2700819 क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद
3.	श्री ए.पी. पात्रों	110, औद्योगिक आस्थान, 0512-2212664 क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर फजलगंज, कानपुर
4.	श्री ए.के. अवस्थी	बी-25, एन्सिलरी स्टेट 0522-2438108 नादरगंज, अमौसी, लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
5.	श्री आर.एन. सिंह	5-बी, कटरा रोड, इलाहाबाद 0532-2440302 क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद
6.	श्री सुनील कुमार यादवजिला उद्योग केन्द्र के पास	0591-2454649 क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद पी.ए.सी. मुरादाबाद
7.	श्री एस.के. राय	क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर

8. भारतीय नागरिकों को सूचना प्राप्त करने की व्यवस्था:—

क्र.सं.	पद	नाम	पता	दूरभाष नं०
1	अपीलीय अधिकारी मुख्यालय कानपुर में	श्री राम यज्ञ मिश्र प्रबन्ध निदेशक	110, औद्योगिक आस्थान, फजलगंज मुख्यालय,	0512-2241119 0512-2236430

			कानपुर	
2	जनसूचना अधिकारी मुख्यालय कानपुर	श्री अविना T रायजादा	110, औद्योगिक आस्थान, फजलगंज मुख्यालय, कानपुर	0512-2241483
3	जनसूचना अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर	श्री ए0पी0 पात्रो	110, औद्योगिक आस्थान, फजलगंज मुख्यालय, कानपुर	0512-2212664
4	जनसूचना अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय आगरा	श्री यशपाल सिंह	70, औद्योगिक आस्थान क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा नुनहाई, आगरा	0562-2281710
5	जनसूचना अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद	श्री जी0एन0 मिश्रा	ए-12, पटेल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद	0120-2700819
6	जनसूचना अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ	श्री ए.के. अवस्थी	बी-25, एन्सिलरी स्टेट नादरगंज, अमौसी, लखनऊ	0522-2438108
7	जनसूचना अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद	श्री आर0एन0 सिंह	5-बी, कटरा रोड, इलाहाबाद	0532-2440302
8	जनसूचना अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय मुरादाबाद	श्री सुनील कुमार यादव	जिला उद्योग केन्द्र के पास पी.ए.सी. मुरादाबाद	0591-2454649
9	जनसूचना अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर	श्री एस.के. राय	क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर	9450326649

भारतीय नागरिकों द्वारा निगम के किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय अवधि प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे तक सूचनायें प्राप्त की जाती है।